न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–92/2003

CIS NO. TS 414/2018

जानकी देवी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

पुजन साह...प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
10.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी की ओर दाखिल आवेदन दिनांक 23.12.2021 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 23.12.2021 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की ओर से अपने दावे के समर्थन में टाईटिल अपील सं0–07/17 का वजाप्ता नकल दाखिल किया किया गया है, जो लोक दस्तावेज है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त कागजात प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 26.07.2022 को दाखिल कर कहा गया कि प्रतिवादी का आवेदन विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। दाखिल दस्तावेज जो अपील वाद सं0–07/17 का बजाप्ता नकल दाखिल किया गया है जिसे लोक दस्तावेज कहकर प्रदर्श अंकित करने का निवेदन किया गया है जबकि वादपत्र में एवं बयान तहरीरी लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–92/2003

CIS NO. TS 414/2018

जानकी देवी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

पुजन साह...प्रतिवादी

लगातार 10.12.2024	अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 23.12.2021 को आपत्ति के साथ ग्रहण करते हुए प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 25.02.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	